

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/18062-75
कार्यालय आदेश

दिनांक:-17 दिसम्बर 2013

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने एस बी सिविल रिट पीटिशन संख्या 18781/ 2013 में दिनांक 12.11.2013 को निम्नानुसार निर्णय दिया गया "Learned counsel for official respondents prays for and is granted ten day time to file reply and to seek instructions regarding transfer of both the person i.e. petitioner so as respondent no. 4 to the place other than Churu." उक्त निर्णय की पालना में निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण / पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्रम संख्या	लिफ्ट नम्बर/ मेरिट नम्बर	नाम मय पद	वर्तमान पदस्थपन स्थल	नवीन पदस्थापन	विशेष विवरण
1	3053	श्री चेनाराम बेनीवाल सहायक लेखाधिकारी	आदेशों की प्रतीक्षा में कोषाधिकारी चूरु	पंचायत समिति लाडनू जिला नागौर	रिक्त पद
2	6025	श्री नन्दलाल सिंह राठौड़ लेखाकार	जिला परिवहन अधिकारी चूरु	उपकोषाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़	रिक्त पद


(वीरवाला जोशी)
निदेशक

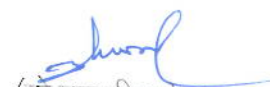
कोष एवं लेखा विभाग

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/18062-75

दिनांक:-17 दिसम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर को विभाग की एकल पत्रावली क्रमांक 17868 दिनांक 20.11.2013 के क्रम में प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देशों की पालना में जारी आदेश की पुष्टि हेतु
2. कोषाधिकारी चूरु
3. जिला परिवहन अधिकारी चूरु
4. सहायक निदेशक समेकित बाल संरक्षण योजना (जिला बाल संरक्षण इकाई हेतु) चूरु
5. जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी चूरु
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लाडनू जिला नागौर
7. उपकोषाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
8. संयुक्त निदेशक (विधि) कार्यालय हाजा
9. सहायक निदेशक (काडर)
10. श्री विमल कुमार जैन, सहायक निदेशक (अलेसे-111) प्रभारी अधिकारी कार्यालय हाजा
11. श्री चेनाराम बेनीवाल सहायक लेखाधिकारी आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय कोषालय चूरु
12. श्री नन्दलाल सिंह राठौड़ लेखाकार कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी चूरु
13. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
14. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
15. व्यक्तिगत पंजिका।
16. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(क.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)